म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड़ भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नि. / गेहूँ उर्पा. / 248 / पार्ट–2 / 3730 भोपाल, दिनांक 3 / 04 / 2015

–: आदेश :–

प्रदेश में दिनांक 25 मार्च 2015 से भोपाल, नर्मदापुरम, इन्दौर एवं उज्जैन संभागों में तथा दिनांक 02 अप्रैल 2015 से जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर एवं चंबल संभागों में शासन द्वारा अधिकृत एजेसियों के द्वारा एफ.ए.क्यू. के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार समर्थन मूल्य पर "गेहूँ" का उर्पाजन प्रारंभ हो गया है। शासन द्वारा गेहूँ की समर्थन मूल्य पर खरीदी के केन्द्र मण्डी तथा उपमण्डी प्रागंणो में भी बनाये गये है। इसके साथ ही मण्डी / उपमण्डी प्रागंणों में समर्थन मूल्य के अधिक मूल्य पर गेहूँ तथा अन्य कृषि जिन्सों की व्यापारियों के द्वारा समानांतर खरीदी भी चल रही है।

2. वर्तमान रबी वर्ष में असमय वर्षा तथा औला वृष्टि के कारण कई जिलों में गेहूँ की फसल प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से मण्डीयों में उच्च गुणवत्ता तथा एफ.ए.क्यू. और इससे निम्न स्तर के गेहूँ की भी आवक हो रही है। राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप मण्डी समितियों का यह दायित्व है कि मण्डी प्रागंण में आने वाले सभी प्रकार के गेहूँ के विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। इस विषय में मण्डी बोर्ड के आदेश क्रमांक–मण्डी बोर्ड / प्रांगण / बी–4 / गेहूँ एमएसपी / 2015 / 288 दिनांक 26.03.2015 से समस्त आचंलिक संयुक्त / उप संचालकों मण्डी बोर्ड तथा समस्त मण्डी सचिवों को निर्देश जारी किये जा चुके है। इस आदेश की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

3. अतः यह आदेशित किया जाता है कि इस पत्र के परिशिष्ट–"अ" में उल्लेखित अधिकारियों द्वारा उनके नाम के सम्मुख जिलों की कृषि उपज मण्डी समितियों का दिनांक 04.04.2015 से दिनांक 11.04.2015 तक निरीक्षण कर एफ.ए.क्यू. तथा नॉन एफ.ए.क्यू. दोनो किस्म गेहूँ की मण्डी प्रागंण में विक्रय और नियमन व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जायेगा।

4. कृषि उपज मण्डी समितियों के निरीक्षण के समय प्रागंण में शासकीय एजेंसियों द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूँ के खरीदी केन्द्र में म.प्र. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 5–31 / 2014 / 29–1 दिनांक 12 मार्च 2015 तथा समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 17 मार्च 2015 के दिशा निर्देश के अनुसार सुविधाओं के उपलब्धता की स्थिति का ऑकलन कर वास्तविक स्थिति का अपने दैनिक निरीक्षण प्रतिवेदन में खुलासा करेगें। इन पत्रों की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की गई है।

5. म.प्र. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 5–31 / 2014 / 29–1 दिनांक 12 मार्च 2015 द्वारा खरीदी केन्द्र पर उर्पाजन के पर्यवेक्षण, स्कन्ध की गुणवत्ता तथा अन्य विषयों पर निर्णय लेने हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इसके तहत कलेक्टर द्वारा अपने जिले में उर्पाजन संबधी कार्यो के समन्वय के लिये एक अधिकारी को " single point of

contact" (SPOC) नियुक्त किया गया है। खरीदी केन्द्र में सवेंदनशील स्थिति में उक्त अधिकारी को समस्या के निराकरण के लिये संपर्क किया जा सकता है।

6. मण्डी प्रागंण में गेहूँ के समर्थन मूल्य के कय केन्द्रों पर शासकीय ऐजेसी के अनुरोध पर किसानों की सुविधा हेतु पंखा एवं छन्ना लगाने की अनुमति प्रदान की जाये। इन केन्द्रों के लिये मण्डी प्रागंण में उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराये जाये। इन कय केन्द्र पर बेनर लगाये जाये। प्रागंण स्थित गेहूँ के समर्थन मूल्य के खरीदी केन्द्र पर राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप मूलभूत सुविधाओं की संबधित अधिकारियों द्वारा उपलब्धता सुनिश्चित करायें।

7. कृषि उपज मण्डी प्रागंण में मण्डी अधिनियम की धारा 36 एवं उपविधि की कंडिका 16 (2) के प्रावधान के तहत् घोष विकय में समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बोली प्रारंभ नहीं होना सुनिश्चित किया जाये। मण्डी प्रागंण के प्लेटफार्म का उपयोग कृषि उपज विकय हेतु किया जाना है, यदि इस पर व्यापारियों द्वारा कय उपज भण्डारित पाई जाती है तो उसे तत्परता से रिक्त कराना सुनिश्चित किया जाये।

8. प्रागंण में लाईट, पानी, सुरक्षा, तुलावटियों एवं हम्मालों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता, इलेक्ट्रानिक कांटो पर तौल, शैचालयों की साफ–सफाई, किसानों को रियायती दर पर भोजन की केन्टीन में उपलब्धता, कृषक विश्राम गृह में सुविधाओं आदि मूलभूत व्यवस्थाऐं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाये। मण्डी प्रागंण में प्रचलित व्यवस्था में यदि कोई सुधार की आवश्यकता अनुभव की जाती है तो अधिकारियों द्वारा तत्सबंध में मण्डी सचिव को समुचित निर्देश दिये जायेगें और इस विषय में आचंलिक संयुक्त/उप सचांलक को भी जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

9. मण्डी प्रागंण में अमानक घोषित गेहूँ के सत्यापन हेतु मोईस्चर मीटर का उपयोग कराया जाये और इस संबध में पूर्व प्रसारित निर्देशों के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित समिति की एफ.ए.क्यू. से कम गुणवत्ता वाले गेहूँ का सेंपल प्रचलित प्रकिया के अनुसार अनिवार्यतः मण्डी में रखा जाये। नॉन एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता के गेहूँ के विकय की व्यवस्था मण्डी प्रागंण में सुनिश्चित कराई जाये। इसमें किसानों को उनकी कृषि उपज का वाजिब मूल्य दिलवाने के लिये हर संभव प्रयास एवं व्यवस्थाऐं की जाये।

10. कृषि उपज मण्डी समिति में निर्बाध रूप से कय–विकय को ध्यान में रखते हुये यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में अवकाश रखना आवश्यक हो तो मण्डी अध्यक्ष द्वारा कृषक प्रतिनिधियों से विचार विमर्श एवं सहमति उपरांत ही निर्णय लिया जाये और ऐसे अवकाश के पर्याप्त समय पूर्व सर्वसंबधितों की जानकारी के लिये मण्डी प्रागंण में उद्घोषणा और अन्य साधन से प्रचार–प्रसार किया जायें, ताकि किसानों को असुविधा ना होवें।

11. मण्डी प्रागंण में किसानों की समस्याओं के त्वारित निराकरण के लिये दो मण्डी निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक को तैनात किया जाये। मण्डी कर्मचारीयों द्वारा ड्यूटी के दौरान वर्दी अनिवार्यतः पहनी जाना सुनिश्चित करें। मण्डी के सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को घोष विकय में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाये, ताकि किसानों को उनकी कृषि उपज का प्रतिस्पार्धात्मक कीमत प्राप्त हो सकें।

12. मुख्यालय से मण्डी समितियों के निरीक्षण के लिये जाने वाले अधिकारियों द्वारा प्रागंण में समर्थन मूल्य पर गेहूॅ खरीदी केन्द्र के प्रभारी, मण्डी सचिव, स्थानीय व्यापारी प्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारियों, समर्थन मूल्य पर गुणवत्ता के ऑकलन हेतु गठित समिति के सदस्यों से चर्चा कर किसानो को कृषि उपज का समुचित मूल्य दिलवाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. मण्डी कर्मचारियों का यह सतत् प्रयास रहेगा कि किसी भी स्थिति में किसानों को समर्थन मूल्य से कम का लाभ मण्डी समितियों द्वारा ना दिया जाये और समर्थन मूल्य से कम पर बिकने वाले गेहूॅ की एफ.ए.क्यू. की गुणवत्ता के निर्धारण में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाये एवं बिन्दु 09 के निर्देशों का पालन में पूर्ण गंभीरता बरतना सुनिश्चित किया जायें।

14. उपरोक्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में उन्हें आवंटित जिलों की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों का निरीक्षण करना सुनिश्चित किया जाये और प्रतिदिन मण्डीवार निरीक्षण प्रतिवेदन ई–मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करेंगें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(अरुण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नि. / गेहूँ उपा. / 248 / पार्ट–2 / 3731 भोपाल, दिनांक 3 / 04 / 2015

प्रतिलिपिः–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला..............................(समस्त)।
6. अपर संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
7. अपर संचालक, (प्रशासन / वाहन) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल के द्वारा भोपाल संभाग की मंडियों के निरीक्षण हेतु नामांकित अधिकारियों के लिये पूल / किराये की वाहन की व्यवस्था की जायेगी।
8. संयुक्त / उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आचंलिक कार्यालय................ को निर्देशित किया जाता है कि उनके संभाग की मंडियों के निरीक्षण हेतु नामांकित अधिकारियों के लिये किराये की वाहन की व्यवस्था की जायेगी।
9. श्री / सुश्री.......................................अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक की ओर म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर पालनार्थ।
10. अध्यक्ष / सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.................................(समस्त)।

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

Gemini journal letter 002

परिशिष्ट–"अ"

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कृषि उपज मंडी समितियो मे समर्थन मूल्य पर गेहूं उर्पाजन हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं मंडी प्रांगण मे नियमन लागू करने के संबंधी निरीक्षण हेतु निम्न अधिकारियो को उनके सम्मुख दर्शाये गये जिलो की समस्त कृषि उपज मंडी समितियां आवंटित की जाती है :–

क्रमांक	संभाग का नाम	जिला अंतर्गत समस्त मंडियां	अधिकारी का नाम	पद नाम
1	2	3	4	5
1	भोपाल	भोपाल / सीहोर	श्री ए.पी.एस. सोंलकी	अपर संचालक
2		रायसेन / विदिशा	श्री आर.के. खरे	अपर संचालक
3		होशगांबाद / हरदा / राजगढ़	श्री एच.डी. वर्मा	अपर संचालक
4		बैतूल	श्री मिन्सेठ इक्का	संयुक्त संचालक
5	इंदौर	खरगौन / धार	श्री अमर सेंगर	संयुक्त संचालक
6		इन्दौर / खण्डवा / बुरहानपुर	श्री सुनिल सक्सैना	संयुक्त संचालक
7		बड़वानी / झाबुआ / अलिराजपुर	श्री नितिन कोल्हे	उप संचालक
8	उज्जैन	शाजापुर / देवास / उज्जैन	श्री ज्ञान सिंह ठाकुर	अपर संचालक
9		रतलाम / नीमच / मंदसौर	श्री संजय कौल	संयुक्त संचालक
10		आगर	श्री आर.के. उपाध्याय	सहायक संचालक
11	जबलपुर	जबलपुर / कटनी / बालाघाट	श्री उदयभान सिंह	संयुक्त संचालक
12		छिन्दवाड़ा / सिवनी	श्री सुबोध श्रीवास्तव	उप संचालक
13		नरसिंहपुर / मण्डला / डिण्डौरी	श्री अरूण बागड़ी	उप संचालक
14	ग्वालियर	ग्वालियर संभाग की समस्त मण्डियॉ।	श्री एस.एस. परमार	संयुक्त संचालक
15	सागर	सागर संभाग की समस्त मण्डियॉ।	श्री करण सिंह मुवेल	उप संचालक

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन से)

संयुक्त संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल